न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सीता शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 102 GCMS No:- 2023/207 **दायर दिनांक : 08.06.2023**

शीलादेवी पत्नी होशियारसिंह जाति जाट निवासी धारसूकला तहसील टोहाना जिला फतेहाबाद (हरियाणा) **–प्रार्थीया**

बहक

1. **सुरेन्द्र कुमार पुत्र सोहनलाल जाति अरोड़ा निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़**
2. **तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार, अभिभाषक प्रार्थीया की ओर से
2. पैरोकार राज

निर्णय **दिनांक : 26.06.2024**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार राज उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया ने वाद–पत्र के साथ यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाम से रोही ताखरावाली के खाता सं. 45/1 के खसरा नं. 182/36 में 3.377 है0 बारानी भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं अप्रार्थी सं. 1 के नाम से इसी रोही ताखरावाली के खाता सं. 107/1 के खसरा नं. 186/42 में 7.337 है0 बारानी खातेदारी भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 अनुसार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 के रकबा के खसरा नम्बरान अलग–अलग हैं, किन्तु अप्रार्थी सं. 1 अपने राजनैतिक प्रभाववश प्रार्थीया के खातेदारी रकबा में जबरदस्ती घुसने की फिराक में है, इसलिए प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया खातेदार कृषक है और कानूनन खातेदार कृषक की भूमि में खातेदार कृषक की इच्छा के विरुद्ध अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। प्रार्थीया ने अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.27 15:59:18 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

मौजीजान व्यक्तियों की पंचायत रखकर समझाने की कोशिश की तो अप्रार्थी स्पष्ट रूप से इन्कार हो गया। वाद निर्णय से पूर्व अप्रार्थी सं. 1 अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई रूपयों पैसों से होनी बड़ी मुश्किल है। प्रथम दृष्टया मामला साबित है, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है, इसलिए प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र, जमाबन्दी व नक्शा की प्रति प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया कि वो जैरवाद रकबा रोही ताखरावाली के खाता सं. 45/1 के खसरा नं. 182/36 में 3.377 है0 बारानी भूमि में से 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि में किसी तरह की दखलन्दाजी ना तो स्वयं करें व ना ही किसी अन्य से करवावें तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभिभाषक प्रार्थीया को इकतरफा सुना जाकर प्रार्थीया के शपथ–पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए दिनांक 08.06.2023 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थी को आगामी तारीख पेशी तक पाबन्द किया गया कि वो रोही ताखरावाली के खाता सं. 45/1 के खसरा नं. 182/36 में 3.377 है0 बारानी भूमि में से 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि में किसी तरह की दखलन्दाजी ना तो स्वयं करें व ना ही किसी अन्य से करवावें तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस सूचना उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध दिनांक 25.08.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी व नक्शा का अवलोकन करवाते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 के रकबा के खसरा नम्बरान अलग–अलग हैं, किन्तु अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीया के खातेदारी रकबा में जबरदस्ती घुसने की फिराक में है, इसलिए प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वाद निर्णय से पूर्व अप्रार्थी सं. 1 अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई रूपयों पैसों से होनी बड़ी मुश्किल है। प्रार्थीया का प्राथमिक

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.27 15:39:18 IST
Reason: SelfAttested

रूप से मामला बनता है, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है, इसलिए अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक जैरवाद रकबा रोही ताखरावाली के खाता सं. 45/1 के खसरा नं. 182/36 में 3.377 है0 बारानी भूमि में से प्रार्थीया के 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि में किसी तरह की दखलन्दाजी ना तो स्वयं करें व ना ही किसी अन्य से करवावें तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखें, इस हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की। पैरोकार राज ने राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

उभय पक्ष के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का गहन अवलोकन व मनन किया। बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस सूचना उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. में अंकित तथ्य सही प्रतीत हो रहे हैं। वाद निर्णय में समय लगना स्वाभाविक है। प्रार्थीया का प्राथमिक रूप से मामला बनता है। सुविधा व सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 08.06.2023 के अनुसरण में वाके रोही ताखरावाली के खाता सं. 45/1 के खसरा नं. 182/36 में 3.377 है0 बारानी भूमि में से 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि में किसी तरह की दखलन्दाजी ना तो स्वयं करें व ना ही किसी अन्य से करवावें तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखें। इसी अनुसार पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 08.06.2023 ताफैसला वाद बढ़ाया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.27 15:59:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)